निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 13 पटना, बुधवार, 11 चैत्र 1937 (श0) / 1 अप्रील 2015 (ई0)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	2-11
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	---
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---
भाग-4—बिहार अधिनियम	---
भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-9—विज्ञापन	---
भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	---
पूरक	---
पूरक-क	12-17

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं

पटना उच्च न्यायालय

अधिसूचनाएं

23 अगस्त 2014

सं० 322 नि0—निम्न तालिका के स्तम्भ–2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारीयों (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) को भारतीय रेलवे अधिनियमों के अंतर्गत, उन वादों को जिन्हें वे दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम–2ए 1974) के अंतर्गत क्षमतापूर्वक निष्पादित कर सकते हैं, के निष्पादन हेतु तालिका स्तम्भ–4 में निहित रेलवे न्यायालय में न्यायिक दंडाधिकारी (रेलवे) नियुक्त किया जाता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा–11 की उप–धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय, निम्न तालिका के स्तम्भ–2 में निहित न्यायिक दंडाधिकारी को उनके अपने क्षेत्राधिकारों के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान करता है।

उन्हें उक्त संहिता की धारा–260 के अंतर्गत भारतीय रेलवे अधिनियम में वर्णित वादों के संक्षिप्त विचारण के लिये प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है।

उन्हें अपने क्षेत्राधिकार के अतंर्गत ऐसे वादों में जिनका निष्पादन करने के लिए उन्हें प्राधिकृत किया गया है, संज्ञान लेने की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है।

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं स्थान (जजी सहित) जहां वे पदस्थापित हैं।	क्षेत्राधिकार जहाँ के लिये शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।	रेलवे न्यायालय का स्थान, जहाँ के लिए पदस्थापीत किये जाते हैं।
1.	श्री शशि भूषण नीरज, अनुमण्डल न्यायिक दण्डाधिकारी, झंझारपुर (मधुबनी)	भागलपुर प्रमण्डल	भागलपुर
2.	श्री संतोश कुमार पाण्डेय, अनुमण्डल न्यायिक दण्डाधिकारी, नवादा (नवादा)	कोशी, दरभंगा, तिरहुत एवं भागलपुर प्रमण्डल	कटिहार

उच्च न्यायालय के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक।

The 23rd August 2014

No. 322 A— The Judicial Officers of the rank of Civil Judge (Junior Division) named in column no.2 of the table given below are appointed as Judicial Magistrate (Railway) to try cases under the Indian Railways Act at the Railway Court mentioned in column no.4 within the territorial Jurisdiction mentioned against their names in column no.3 of the table, which they are competent to try under the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974).

In exercise of Powers conferred under Sub-Section 3 of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973, the High Court are pleased to confer upon the Judicial Magistrates named below the powers of a Judicial Magistrate of the 1st Class for the territorial Jurisdictions mentioned against their names in column no.3 of the table.

They are also vested with the powers conferrable on a Judicial Magistrate of the 1st Class to try summarily the cases under the Indian Railways Act, as are covered under Section 260 of the Code of Criminal Procedure, 1973.

They are also conferred with the powers to take cognizance of such case as they are authorized to try within their territorial Jurisdiction.

Sl. No.	Name of the Officers, designation and place of posting (with judgeship)	Jurisdiction for which power is being vested	Name of the station to be posted as in the court of Railway Magistrate
1	2	3	4
1.	Sri Shashi Bhushan Niraj S.D.J.M., Jhanjharpur (Madhubani)	Bhagalpur Division	Bhagalpur
2.	Sri Santosh Kumar Pandey S.D.J.M., Nawadah (Nawadah)	Kosi, Darbhanga, Tirhut and Bhagalpur Division	Katihar

By order of the High Court,
VINOD KUMAR SINHA, *Registrar General.*

---

23 अगस्त 2014

सं० 323 नि0—निम्न तालिका के स्तम्भ–2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) को तालिका के स्तम्भ–3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर एवं स्तम्भ–4 में दी गई स्थानांतरण श्रृंखला में न्यायिक दण्डाधिकारी नियुक्त किया जाता हैं।

पुनः दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा–11 की उप–धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक पदाधिकारियों को निम्न तालिका के स्तंभ–5 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है, और

उसी दण्ड प्रक्रिया की धारा–12 की उप–धारा (3) (अ) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन पदाधिकारियों को इसी तालिका के स्तंभ–6 में उनके नाम के सामने उल्लिखित अनुमंडल के लिए अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी भी पदांकित किया जाता है।

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान	अ) नए स्थान का पदनाम ब) साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान स) जजी जहाँ नियुक्त किए जाते हैं	स्थानांतरण की श्रृंखला	जिला का नाम	अनुमंडल का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	श्री प्रकाश कुमार शरण, अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी, बाढ़।	अ) न्यायिक दण्डाधिकारी ब) दानापुर स) पटना	पूर्व में स्थानांतरित श्री विजय कृष्ण सिंह के स्थान पर	पटना	दानापुर
2.	श्री प्रेम कुमार श्रीवास्तव, अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी, भभुआ।	अ) न्यायिक दण्डाधिकारी ब) सिवान स) सिवान	स्थानांतरित श्री राम बिहारी के स्थान पर	सिवान	सिवान
3.	श्री राम अवध प्रसाद, अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी, बिक्रमगंज।	अ) न्यायिक दण्डाधिकारी ब) मोतिहारी स) पूर्वी चम्पारण	स्थानांतरित श्री सर्वजीत के स्थान पर	मोतिहारी	मोतिहारी
4.	श्री अशोक कुमार–I अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी, कटिहार।	अ) न्यायिक दण्डाधिकारी ब) लखीसराय स) मुंगेर	स्थानांतरित श्रीमति सुषमा कश्यप के स्थान पर	मुंगेर	लखीसराय
5.	श्री चन्द्रमोहन झा, अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी, गोपालगंज।	अ) न्यायिक दण्डाधिकारी ब) बेगूसराय स) बेगूसराय	स्थानांतरित श्री सरयु राम के स्थान पर	बेगूसराय	बेगूसराय

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान	अ) नए स्थान का पदनाम ब) साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान स) जजी जहाँ नियुक्त किए जाते हैं	स्थानांतरण की श्रृंखला	जिला का नाम	अनुमंडल का नाम
1	2	3	4	5	6
6.	सुषमा कश्यप, अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी, लखीसराय।	अ) न्यायिक दण्डाधिकारी ब) दलसिंगसराय स) समस्तीपुर	स्थानांतरित श्री रामानंद राम के स्थान पर	समस्तीपुर	दलसिंगसराय
7.	श्री हबीबुल्लाह, अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी, पुपरी, सीतामढ़ी।	अ) न्यायिक दण्डाधिकारी ब) बिक्रमगंज स) रोहतास	स्थानांतरित श्री राम अवध प्रसाद के स्थान पर	सासाराम	बिक्रमगंज
8.	श्री राम बिहारी, अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी, सिवान।	अ) न्यायिक दण्डाधिकारी ब) झंझारपुर स) मधुबनी	पूर्व में स्थानांतरित श्री शशि भूषण नीरज के स्थान पर	मधुबनी	झंझारपुर
9.	श्री नरेन्द्र प्रसाद, अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी, दरभंगा।	अ) न्यायिक दण्डाधिकारी ब) बाढ स) पटना	स्थानांतरित श्री प्रकाश कुमार शरण के स्थान पर	पटना	बाढ़
10.	श्री रामानंद राम, अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी, दलसिंगसराय।	अ) न्यायिक दण्डाधिकारी ब) सिकरहना स) मोतिहारी	स्थानांतरित श्री अनिल कुमार के स्थान पर	मोतिहारी	सिकरहना
11.	श्री राज कुमार रविदास, अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी, मुंगेर।	अ) न्यायिक दण्डाधिकारी ब) पुपरी स) सितामढ़ी	स्थानांतरित श्री हबीबुल्लाह के स्थान पर	सितामढ़ी	पुपरी
12.	श्री सरयु राम, अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी, बेगूसराय।	अ) न्यायिक दण्डाधिकारी ब) भभुआ स) कैमूर	स्थानांतरित श्री प्रेम कुमार श्रीवास्तव के स्थान पर	भभुआ	भभुआ
13.	श्री सत्यनाराण राम, अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी, बांका।	अ) न्यायिक दण्डाधिकारी ब) नवादा स) नवादा	स्थानांतरित श्री संतोष कुमार पाण्डेय के स्थान पर	नवादा	नवादा
14.	श्री अनिल कुमार, अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी, सिकरहना।	अ) न्यायिक दण्डाधिकारी ब) मुंगेर स) मुंगेर	स्थानांतरित श्री राजकुमार रविदास के स्थान पर	मुंगेर	मुंगेर
15.	श्री सर्वजीत, अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी, मोतिहारी।	अ) न्यायिक दण्डाधिकारी ब) कटिहार स) कटिहार	स्थानांतरित श्री अशोक कुमार–I के स्थान पर	कटिहार	कटिहार
16.	श्री विजय कृष्ण सिंह अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी, दानापुर।	अ) न्यायिक दण्डाधिकारी ब) गोपालगंज स) गोपालगंज	स्थानांतरित श्री चन्द्र मोहन झा के स्थान पर	गोपालगंज	गोपालगंज
17.	श्री सैययद मो0 फजलुल वारी, रेलवे न्यायिक दण्डाधिकारी, भागलपुर।	अ) न्यायिक दण्डाधिकारी ब) बांका स) भागलपुर	स्थानांतरित श्री सत्यनारायण राम के स्थान पर	भागलपुर	बांका

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान	अ) नए स्थान का पदनाम ब) साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान स) जजी जहाँ नियुक्त किए जाते हैं	स्थानांतरण की श्रृंखला	जिला का नाम	अनुमंडल का नाम
1	2	3	4	5	6
18.	श्री नीरज बिहारी लाल, रेलवे न्यायिक दण्डाधिकारी, कटिहार।	अ) न्यायिक दण्डाधिकारी ब) मधुबनी स) मधुबनी	स्थानांतरित श्री विनोद कुमार गुप्ता के स्थान पर	मधुबनी	मधुबनी
19.	श्री विनोद कुमार गुप्ता, अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी, मधुबनी।	अ) न्यायिक दण्डाधिकारी ब) दरभंगा स) दरभंगा	स्थानांतरित श्री नरेन्द्र प्रसाद के स्थान पर	दरभंगा	दरभंगा

उच्च न्यायालय के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक।

The 23rd August 2014

No. 323 A—The Judicial Officers of the rank of Civil Judge (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below are hereby appointed as Judicial Magistrates in the Judgeships and stations mentioned in column no. 3 and in chain of transfer noted in column no. 4 of the said table against their respective names.

Further in exercise of the powers conferred under Sub-Section (3) of Section 11 of the code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are pleased to confer upon the officers named below, the powers of a Judicial Magistrate of the 1st Class for the District noted against their names in column no. 5 of the table, and

In exercise of the powers conferred under Sub-Section (3) (a) of Section 12 of the said Criminal Procedure Code, these Officers are designated as Sub-Divisional Judicial Magistrate for the Sub-Division noted against their names in column no. 6 of the said table.

Sl. No.	**Name of the Officers , designation and place of posting with Judgeship**	**(a) Designation at the new station.** **(b) Place where the Officer is to be stationed.** **(c) Name of the Judgeship in which appointed on transfer.**	**Chain of transfer**	**Name of the District**	**Name of the Sub-Division**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1.	Sri Prakash Kumar Sharan S.D.J.M., Barh (Patna)	(a) Judicial Magistrate (b) Danapur (c) Patna	Vice Sri Vijay Krishna Singh since transferred	Patna	Danapur
2.	Sri Prem Kumar Srivastava S.D.J.M., Bhabhua (Kaimur)	(a) Judicial Magistrate (b) Siwan (c) Siwan	Vice Sri Ram Bihari transferred	Siwan	Siwan
3.	Sri Ram Awadh Prasad S.D.J.M., Bikramganj (Sasaram)	(a) Judicial Magistrate (b) Motihari (c) East Champaran	Vice Sri Sarbjeet transferred	Motihari	Motihari

Sl. No.	Name of the Officers , designation and place of posting with Judgeship	(a) Designation at the new station. (b) Place where the Officer is to be stationed. (c) Name of the Judgeship in which appointed on transfer.	Chain of transfer	Name of the District	Name of the Sub-Division
1	2	3	4	5	6
4.	Sri Ashok Kumar I S.D.J.M., Katihar (Katihar)	(a) Judicial Magistrate (b) Lakhisarai (c) Munger	Vice Ms. Sushma Cashyap transferred	Munger	Lakhisarai
5.	Sri Chandra Mohan Jha S.D.J.M., Gopalganj (Gopalganj)	(a) Judicial Magistrate (b) Begusarai (c) Begusarai	Vice Sri Sarjoo Ram transferred	Begusarai	Begusarai
6.	Ms. Sushma Cashyap S.D.J.M., Lakhisarai (Munger)	(a) Judicial Magistrate (b) Dalsingsarai (c) Samastipur	Vice Sri Ramanand Ram transferred	Samastipur	Dalsingsarai
7.	Sri Habibullah S.D.J.M., Poopri at Sitamarhi (Sitamarhi)	(a) Judicial Magistrate (b) Bikramganj (c) Rohtas	Vice Sri Ram Awadh Prasad transferred	Sasaram	Bikramganj
8.	Sri Ram Bihari S.D.J.M., Siwan (Siwan)	(a) Judicial Magistrate (b) Jhanjharpur (c) Madhubani	Vice Sri Shashi Bhushan Niraj since transferred	Siwan	Jhanjharpur
9.	Sri Narendra Prasad S.D.J.M., Darbhanga (Darbhanga)	(a) Judicial Magistrate (b) Barh (c) Patna	Vice Sri Prakash Kumar Sharan transferred	Patna	Barh
10.	Sri Ramanand Ram S.D.J.M., Dalsingsarai (Samastipur)	(a) Judicial Magistrate (b) Sikrahana at Motihari (c) East Champaran	Vice Sri Anil Kumar transferred	Motihari	Sikrahana at Motihari
11.	Sri Raj Kumar Ravidas S.D.J.M., Munger (Munger)	(a) Judicial Magistrate (b) Poopri at Sitamarhi (c) Sitamarhi	Vice Sri Habibullah transferred	Sitamarhi	Poopri at Sitamarhi
12.	Sri Sarjoo Ram S.D.J.M., Begusarai (Begusarai)	(a) Judicial Magistrate (b) Bhabhua (c) Kaimur	Vice Sri Prem Kumar Srivastava transferred	Bhabhua	Bhabhua
13.	Sri Satya Narayan Ram S.D.J.M., Banka (Bhagalpur)	(a) Judicial Magistrate (b) Nawadah (c) Nawadah	Vice Sri Santosh Kumar Pandey transferred	Nawadah	Nawadah

Sl. No.	Name of the Officers , designation and place of posting with Judgeship	(a) Designation at the new station. (b) Place where the Officer is to be stationed. (c) Name of the Judgeship in which appointed on transfer.	Chain of transfer	Name of the District	Name of the Sub-Division
1	2	3	4	5	6
14.	Sri Anil Kumar S.D.J.M., Sikrahana at Motihari (East Champaran)	(a) Judicial Magistrate (b) Munger (c) Munger	Vice Sri Raj Kumar Ravidas transferred	Munger	Munger
15.	Sri Sarbjeet S.D.J.M., Motihari (East Champaran)	(a) Judicial Magistrate (b) Katihar (c) Katihar	Vice Sri Ashok Kumar I transferred	Katihar	Katihar
16.	Sri Vijay Krishna Singh, S.D.J.M., Danapur (Patna)	(a) Judicial Magistrate (b) Gopalganj (c) Gopalganj	Vice Sri Chandra Mohan Jha transferred	Gopalganj	Gopalganj
17.	Sri Syed Md. Fazlul Bari Railway Magistrate, Bhagalpur (Bhagalpur)	(a) Judicial Magistrate (b) Banka (c) Bhagalpur	Vice Sri Satya Narayan Ram transferred	Bhagalpur	Banka
18.	Sri Niraj Bihari Lal Railway Magistrate, Katihar (Katihar)	(a) Judicial Magistrate (b) Madhubani (c) Madhubani	Vice Sri Binod Kumar Gupta transferred	Madhubani	Madhubani
19.	Sri Binod Kumar Gupta S.D.J.M., Madhubani (Madhubani)	(a) Judicial Magistrate (b) Darbhanga (c) Darbhanga	Vice Sri Narendra Prasad transferred	Darbhanga	Darbhanga

By order of the High Court,
VINOD KUMAR SINHA, *Registrar General.*

---

23 अगस्त 2014

सं० 324 नि0—निम्न तालिका के स्तम्भ–2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारियों (असैनिक न्यायाधीश कनीय कोटि) को क्रमशः उनके नाम के सामने तालिका के स्तम्भ–3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर एवं स्तम्भ–4 में दी गई स्थानांतरण श्रृंखला में अपने न्यायिक कार्य के अतिरिक्त प्रशासनिक कार्य करने के लिए व्यवहार न्यायालय के निबंधक/ प्रभारी न्यायाधीश के रूप में नियोजन के लिए अपर मुंसिफ नियुक्त किया जाता है।

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान	अ) नए स्थान का पदनाम ब) साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान स) जजी जहाँ नियुक्त किए जाते हैं	स्थानांतरण की श्रृंखला
1	2	3	4
1.	श्री संजय कुमार झा, निबंधक, सारण।	अ) अपर मुंसिफ ब) गया स) गया	पूर्व में स्थानांतरित श्री अजीत कुमार मिश्रा के स्थान पर
2.	श्री नरेन्द्र कुमार, निबंधक, पटना।	अ) अपर मुंसिफ ब) मुजफ्फरपुर स) मुजफ्फरपुर	पूर्व में स्थानांतरित श्री राजेश सिंह के स्थान पर
3.	श्री संजय कुमार सिन्हा–2, प्रभारी–न्यायाधीश, बेतिया।	अ) अपर मुंसिफ ब) पटना स) पटना	स्थानांतरित श्री नरेन्द्र कुमार के स्थान पर
4.	श्री सत्यनारायण शिवहरे, निबंधक, पूर्णियॉ।	अ) अपर मुंसिफ ब) छपरा स) छपरा	स्थानांतरित श्री संजय कुमार झा के स्थान पर
5.	श्री विजय कुमार पाण्डेय, प्रभारी न्यायाधीश, सासाराम।	अ) अपर मुंसिफ ब) बेतिया स) पश्चिमी चम्पारण	स्थानांतरित श्री संजय कुमार सिन्हा–II के स्थान पर
6.	श्री दिपक कुमार–1, प्रभारी न्यायाधीश, मधेपुरा।	अ) अपर मुंसिफ ब) समस्तीपुर स) समस्तीपुर	पूर्व में स्थानांतरित श्री रामजी सिंह यादव के स्थान पर
7.	श्री रंजीत कुमार–2, प्रभारी न्यायाधीश, गोपालगंज।	अ) अपर मुंसिफ ब) नवादा स) नवादा	पूर्व में स्थानांतरित श्री श्री प्रकाश मिश्रा के स्थान पर
8.	श्री गिरिश मिश्रा, न्यायायिक दण्डाधिकारी, मोतिहारी।	अ) निबंधक/प्रभारी न्यायाधीश ब) सासाराम स) सासाराम	स्थानांतरित श्री विजय कुमार पाण्डेय के स्थान पर
9.	श्री कृष्ण मोहन तिवारी, मुंसिफ, सासाराम।	अ) निबंधक/प्रभारी न्यायाधीश ब) पूर्णियॉ स) पूर्णियॉ	स्थानांतरित श्री सत्यनारायण शिवहरे के स्थान पर
10.	श्री अखिलेश कुमार सिंह, मुंसिफ, बिहारशरीफ।	अ) निबंधक/प्रभारी न्यायाधीश ब) बेगूसराय स) बेगूसराय	पूर्व में स्थानांतरित श्री मो0 ग्यासुद्दीन के स्थान पर
11.	श्री दशरथ मिश्रा, मुंसिफ, औरंगाबाद।	अ) निबंधक/प्रभारी न्यायाधीश ब) मधेपुरा स) मधेपुरा	स्थानांतरित श्री दिपक कुमार-I के स्थान पर
12.	श्री विनय प्रकाश तिवारी, मुंसिफ, समस्तीपुर।	अ) निबंधक/प्रभारी न्यायाधीश ब) मुंगेर स) मुंगेर	पूर्व में स्थानांतरित श्री प्रवीण कुमार सिंह 'श्रीनेत' के स्थान पर
13.	श्री शुभ नन्दन झा, मुंसिफ, मुंगेर।	अ) निबंधक/प्रभारी न्यायाधीश ब) नवादा स) नवादा	स्थानांतरित श्री रंजीत कुमार-II के स्थान पर

उच्च न्यायालय के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक।

The 23rd August 2014

No. 324 A—The Judicial Officer of the rank of Civil Judge (Junior Division) named in column no.2 of the table given below is hereby appointed as Additional Munsif to be employed as Registrar / Judge Incharge, Civil Courts, to do the Administrative work in addition to his Judicial functions in the Judgeship as mentioned in column no.3 and in the chain specified in column no.4 against their respective names of the table :

Sl. No.	Name of the Officers with designation and place of posting (With Judgeship)	(a) Designation at the new station. (b) Place where the Officer is to be stationed at ordinarily (c) Name of the Judgeship in which posted on transfer.	Chain of transfer
1	2	3	4
1.	Sri Sanjay Kumar Jha Registrar, Chapra (Saran)	(a) Additional Munsif (b) Gaya (c) Gaya	Vice Sri Ajit Kumar Mishra since transferred
2.	Sri Narendra Kumar Registrar, Patna (Patna)	(a) Additional Munsif (b) Muzaffarpur (c) Muzaffarpur	Vice Sri Rajesh Singh since transferred
3.	Sri Sanjay Kumar Sinha II Judges I/C, Bettiah (West Champaran)	(a) Additional Munsif (b) Patna (c) Patna	Vice Sri Narendra Kumar transferred
4.	Sri Satya Narayan Sheohare Registrar, Purnea (Purnea)	(a) Additional Munsif (b) Chapra (c) Chapra	Vice Sri Sanjay Kumar Jha transferred
5.	Sri Vijay Kumar Pandey Judge Incharge, Sasaram (Rohtas)	(a) Additional Munsif (b) Bettiah (c) West Champaran	Vice Sri Sanjay Kumar Sinha II transferred
6.	Sri Deepak Kumar I Judge Incharge, Madhepura (Madhepura)	(a) Additional Munsif (b) Samastipur (c) Samastipur	Vice Sri Ramji Singh Yadav since transferred
7.	Sri Ranjit Kumar II Judge-in-Charge, Gopalganj (Gopalganj)	(a) Additional Munsif (b) Nawadah (c) Nawadah	Vice Sri Shree Prakash Mishra since transferred
8.	Sri Girish Mishra, J.M.I, Motihari (East Champaran)	(a) Registrar / Judge Incharge (b) Sasaram (c) Sasaram	Vice Sri Vijay Kumar Pandey transferred
9.	Sri Krishna Mohan Tiwary Munsif, Sasaram (Rohtas)	(a) Registrar / Judge Incharge (b) Purnea (c) Purnea	Vice Sri Satya Narayan Sheohare transferred
10.	Sri Akhilesh Kumar Singh Munsif, Biharsharif (Nalanda)	(a) Registrar / Judge Incharge (b) Begusarai (c) Begusarai	Vice Sri Md. Geyasuddin since transferred
11.	Sri Dashrath Mishra Munsif, Aurangabad (Aurangabad)	(a) Registrar / Judge Incharge (b) Madhepura (c) Madhepura	Vice Sri Deepak Kumar I transferred
12.	Sri Vinay Prakash Tiwary Munsif, Samastipur (Samastipur)	(a) Registrar / Judge Incharge (b) Munger (c) Munger	Vice Sri Praveen Kumar Singh 'Srinet' since transferred

Sl. No.	Name of the Officers with designation and place of posting (With Judgeship)	(a) Designation at the new station. (b) Place where the Officer is to be stationed at ordinarily (c) Name of the Judgeship in which posted on transfer.	Chain of transfer
1	2	3	4
13.	Sri Subh Nandan Jha Munsif, Munger (Munger)	(a) Registrar / Judge Incharge (b) Gopalganj (c) Gopalganj	Vice Sri Ranjit Kumar II transferred

By order of the High Court,
VINOD KUMAR SINHA, *Registrar General.*

---

23 अगस्त 2014

सं० 325 नि0—सेवानिवृत संयुक्त निबंधक श्री आफताब अहमद एवं पूर्व में संयुक्त निबंधक सह माननीया मुख्य न्यायाधीश के प्रधान निजी सचिव के रूप में नियुक्त श्री मदन प्रसाद (सम्प्रति सेवानिवृत) के स्थान पर माननीया मुख्य न्यायाधीश के आदेशानुसार **श्री अजित नारायण लाल एवं श्री मधुसूदन प्रसाद सिंह, उप निबंधक, पटना उच्च न्यायालय, पटना** को उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से प्रोन्नत कर वेतन बैंड रू0 37,400–67,000 जोड़ ग्रेड वेतन रू0 8,700 (पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान रू0 14,300–18,300) में नियमानुसार अनुमान्य विशेष वेतन के साथ पटना उच्च न्यायालय, पटना का संयुक्त निबंधक नियुक्त किया जाता है।

माननीय मुख्य न्यायाधीश के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक।

The 23rd August 2014

No. 325 A—The Hon'ble the Chief Justice has been pleased to appoint temporarily, on promotion, **Sri Ajit Narayan Lall, and Sri Madhusudan Prasad Singh, both Deputy Registrar, Patna High Court, Patna, as Joint Registrar, Patna High Court, Patna** in the Pay Band of Rs. 37,400–67,000 plus Grade Pay of Rs. 8,700/- (pre revised pay scale Rs. 14,300-18,300) with special pay as admissible under the rules with effect from the date they assume charge as such vice Sri Aftab Ahmad, since retired and Sri Madan Prasad since appointed as Joint Registrar-cum-P.P.S. to Hon'ble the Chief Justice, now retired, respectively.

By order of the Hon'ble the Chief Justice,
VINOD KUMAR SINHA, *Registrar General* .

---

23 अगस्त 2014

सं० 326 नि0—पूर्व में मृत श्री सत्येन्द्र कुमार ओझा के स्थान पर माननीया मुख्य न्यायाधीश के आदेशानुसार श्री जितेन्द्र नाथ गोपालपुरी, सहायक निबंधक, पटना उच्च न्यायालय, पटना को उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से प्रोन्नत कर वेतन बैंड रू0 15,600–39,100 जोड़ ग्रेड वेतन रू0 7,600 (पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान रू0 12,000–16,500) में नियमानुसार अनुमान्य विशेष वेतन के साथ पटना उच्च न्यायालय, पटना का उप निबंधक नियुक्त किया जाता है।

माननीय मुख्य न्यायाधीश के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक।

The 23rd August 2014

No. 326 A—The Hon'ble the Chief Justice has been pleased to appoint temporarily, on promotion, Sri Jeetendra Nath Gopalpuri, Assistant Registrar, Patna High Court, Patna, as Deputy Registrar, Patna High Court, Patna in the Pay Band of Rs. 15,600 – 39,100 plus Grade Pay of Rs. 7,600 (pre revised pay scale Rs. 12,000-16,500) with special pay as admissible under the rules with effect from the date he assumes charge as such vice Sri Sateyendra Kumar Ojha, since expired.

By order of the Hon'ble the Chief Justice,
VINOD KUMAR SINHA, *Registrar General* .

4 सितम्बर 2014

सं० 368 नि0—न्यायालय की पूर्व अधिसूचना सं0 340 नि0 दिनांक 29.08.2014 जिसके द्वारा श्री परशुराम शुक्ला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बेगूसराय को भागलपुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया था, को एतद् द्वारा वापस लिया जाता है।

उच्च न्यायालय के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक।

———

The 4th September 2014

No. 368 A—The transfer and posting of Sri Parshuram Shukla, District and Sessions Judge, Begusarai as District and Sessions Judge of Bhagalpur effected under Court's Notification No. 340A dated 29.08.2014 is hereby recalled.

By order of the High Court,
VINOD KUMAR SINHA, *Registrar General.*

———

26 सितम्बर 2014

सं० 409 नि0—न्यायालय की पूर्व निर्गत अधिसूचना सं0 347 नि0 दिनांक 29.08.2014 जिसके द्वारा श्री हरेन्द्र नाथ तिवारी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बक्सर को दिनांक 29.11.2014 को स्थापित हो रहे बांका न्यायमंडल के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया गया था, को एतद् द्वारा वापस लिया जाता है।

उच्च न्यायालय के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक।

———

The 26th September 2014

No. 409 A— The transfer and posting of Sri Harendra Nath Tiwary, District and Sessions Judge, Buxar as District and Sessions Judge of Banka on establishment of Banka Judgeship on 29.11.2014, made under Court's Notification No. 347A dated 29.08.2014 is hereby recalled.

By order of the High Court,
VINOD KUMAR SINHA, *Registrar General.*

———

कृषि विभाग

———

अधिसूचना
20 मार्च 2015

सं० पी0पी0एम0–48/2006 पार्ट–III- 1455/कृ0—राज्य किसान आयोग के पुनर्गठन से संबंधित कृषि विभागीय अधिसूचना संख्या 972 दिनांकः 19.02.2015 को निरस्त किया जाता है। विभागीय संकल्प संख्या– 372 दिनांकः 25.07.2006 एवं अधिसूचना संख्या–214 दिनांकः 17.01.2014 के क्रम में राज्य किसान आयोग तथा श्री सी०पी० सिन्हा, अध्यक्ष, राज्य किसान आयोग, श्री बागेश्वरी सिंह एवं श्री मृत्युंजय कुमार सिंह, दोनों पूर्णकालिक सदस्य, राज्य किसान आयोग को दिनांक 31.03.2016 तक अवधि विस्तार की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
प्रभु राम, अपर सचिव।

———

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 02—571+100-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

बिहार गजट

का

पूरक(अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग

अधिसूचना
11 मार्च 2015

सं० कारा/नि0को0(क)–43/12–1570—श्री देवेन्द्र प्रसाद, तत्कालीन काराधीक्षक, मंडल कारा, आरा (सम्प्रति दूसरे मामले में निलंबित) के विरूद्ध ''बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005'' में अन्तर्निहित प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1323 दिनांक 12.03.2014 द्वारा संस्थित विभागीय कार्यवाही का एतद् द्वारा निस्तार किया जा रहा है।

2. श्री प्रसाद के मंडल कारा, आरा में पदस्थापन के दौरान दिनांक 02.06.2010 को बंदी मारूती चौधरी को कारा के अन्दर चोट लगने के उपरान्त ईलाज में लापरवाही के फलस्वरूप दिनांक 09.06.2010 को सदर अस्पताल, आरा में ईलाज के दौरान मृत्यु होने, बिहार मानवाधिकार आयोग द्वारा बंदी की मृत्यु को संज्ञान लेते हुए 2,00,000 (दो लाख) रूपया का मुआवजा आदेश पारित करने तथा कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता बरतने के प्रतिवेदित आरोप के लिए उनके विरूद्ध प्रपत्र 'क' में आरोप पत्र गठित किया गया जिसके अन्तर्गत आरोप निम्नवत् हैं:–

(i) आपके मंडल कारा, आरा में पदस्थापन के दौरान कैदी मारूती चौधरी, पे0–बवन चौधरी, ग्राम–वेलाउर, थाना–उदवंत नगर, जिला–भोजपुर, जो कि रेलवे वाद संख्या 1628/10 अंतर्गत धारा–137 रेलवे अधिनियम के तहत् दिनांक 01.06.2010 को एक माह के साधारण कारावास की सजा के लिए आया था। माननीय न्यायालय द्वारा बंदी मारूती चौधरी को 1106 रुपये जुर्माना की सजा दी गयी थी और उक्त राशि जमा नहीं करने की स्थिति में एक माह का साधारण कारावास की सजा सुनाई गयी थी। बंदी द्वारा जुर्माना की राशि की अदायगी नहीं की गयी जिसके फलस्वरूप उसे कारा में संसीमित होना पड़ा। दिनांक 02.06.2010 को बंदी कारा में गिर गया था, जिससे उसे चोट आई और कारा अस्पताल में ईलाज हुआ। दिनांक 09.06.2010 को उनकी हालत काफी चिंताजनक हो गयी और उन्हें सदर अस्पताल लाया गया जहाँ चिकित्सा के क्रम में बंदी मारूती चौधरी की असमय मृत्यु हो गयी।

बिहार कारा हस्तक के नियमानुसार कारा में प्रवेश करने के बाद प्रत्येक बंदी की स्वास्थ्य एवं उनकी प्राण रक्षा की जिम्मेवारी कारा में पदस्थापित कर्मियों की होती है, जिसका आपने उचित ढंग से पालन नहीं किया जिससे कारा संसीमित बंदी मारूती चौधरी की असमय मृत्यु हो गई। यह आपकी घोर लापरवाही, कर्त्तव्यहीनता एवं प्रशासनिक विफलता है।

(ii) बंदी मारूती चौधरी के पूरक रिपोर्ट में उनकी मृत्यु का कारण बताया गया है '' While considering the viscera report and the previous PM report, the Board concludes that cause of death is "Shock resulting from ante mortem injuries caused by hard- blunt object" बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना ने अपने आदेश में इस तथ्य को गंभीरता से लेते हुए कहा है कि "The conclusion reinforces the finding of the commission as to the ante mortem injuries found on the person of the deceased being the cause of death" तद्नुसार बिहार

मानवाधिकार आयोग ने बंदी मारूती चौधरी के निकटतम परिजन को 2,00,000 (दो लाख रूपये) मुआवजा देने का आदेश पारित किया है जिसमें से 50,000/– (पचास हजार) रूपये मात्र आपसे वसूलनीय है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आपने बिहार कारा हस्तक के नियमानुसार अपने पद के दायित्वों का सही ढंग से निर्वहन नहीं किया, जो आपकी अपने कर्त्तव्य के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता है। यदि आप अपने कर्त्तव्य का निर्वहन बिहार कारा हस्तक के नियमानुसार पूर्ण रूपेण करते तो कारा संसीमित बंदी मारूती चौधरी की असमय मृत्यु नहीं होती और राज्य सरकार को 2,00,000 (दो लाख) रूपये मुआवजे के रूप में भुगतान नहीं करना पड़ता, जिसके लिए आप उत्तरदायी है।

3. श्री प्रसाद के विरूद्ध संस्थित विभागीय कार्यवाही का संचालन पदाधिकारी, विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को नामित किया गया। संदर्भित विभागीय कार्यवाही को संचालन पदाधिकारी, विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना द्वारा अपर विभागीय जाँच आयुक्त को स्थानांतरित कर दी गई। तद्आलोक में सचिव, जल संसाधन विभाग–सह–अपर विभागीय जाँच आयुक्त द्वारा जाँचोपरान्त जाँच प्रतिवेदन अभिलेख फोल्डर के साथ समर्पित किया गया है। संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने जाँच प्रतिवेदन के अधिगम में आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध गठित दोनों आरोपों को प्रमाणित नहीं पाया गया है।

4. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध गठित आरोप, आरोपित का बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी का अधिगम एवं संचिका में उपलब्ध अभिलेखों की समीक्षा से स्पष्ट होता है कि मृतक बंदी मारूती चौधरी दिनांक 01.06.2010 को एक माह के साधारण कारावास की सजा लिए कारा में आया था। उक्त बंदी दिनांक 02.06.2010 को कारा में गिर गया तथा उसे चोट आयी और कारा अस्पताल में उसका ईलाज हुआ। दिनांक 09.06.2010 को उक्त बंदी की हालत चिन्ताजनक होने के बाद उसे सदर अस्पताल में लाया गया जहाँ चिकित्सा के क्रम में उसकी मृत्यु हो गई। इसके लिए अधीक्षक के साथ–साथ चिकित्सक एवं अन्य कारा कर्मियों पर इस संदर्भ में बिहार मानवाधिकार आयोग के आदेश के आलोक में मृतक के आश्रित को 2,00,000/–(दो लाख) रूपये का भुगतान सरकार के द्वारा कर दी गई है तथा इस राशि की वसूली दोषी कर्मी से करने का निदेश है। तद्आलोक में श्री देवेन्द्र प्रसाद के विरूद्ध आरोप पत्र का गठन करते हुए विभागीय कार्यवाही संस्थित की गई तथा विभागीय कार्यवाही के संचालन के पश्चात् 50,000 (पचास हजार) रूपया वसूलने का निर्णय लिया गया।

संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोपित के विरूद्ध गठित आरोप संख्या–01 के संदर्भ में विश्लेषणोपरांत उल्लेख किया गया है कि कारा में संसीमन के दिन बंदी मारूती चौधरी की पूर्ण स्वास्थ्य जाँच वहाँ के चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा किया गया था एवं उन्होंने यह पाया कि बंदी हेरोईन एवं अल्कोहल का आदी है तथा उसका लीवर भी बढ़ा हुआ था। बंदी का ईलाज 2 जून 2010 से ही किया जाता रहा एवं उसे दिनांक 06.06.2010 को जेल के अस्पताल में भर्त्ती किया गया। सीढ़ी पर गिर जाने के कारण बंदी को चोट लगी थी जिसका ईलाज दिनांक 06.06.2010 के बाद से जिला के अस्पताल में किया गया। जिस दिन बंदी को सदर अस्पताल में भर्त्ती कराया गया उसी दिन उसकी मृत्यु हो जाने के बाद सदर अस्पताल के चिकित्सक द्वारा दी गयी पोस्टमार्टम रिर्पोट से भी स्पष्ट है कि उसके शरीर पर जो चोट के निशान थे, वे पुराने थे एवं इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु के कारण को स्पष्ट नहीं किया जा सका था। आरोप पत्र के साथ ही संलग्न मैजिस्ट्रीयल जांच प्रतिवेदन से भी यह स्पष्ट है कि बंदी के ईलाज में कोई लापरवाही नहीं बरती गयी एवं सदर अस्पताल के डॉक्टर के अनुसार उसे जो चोट लगी थी वे मृत्यु का कारण नहीं हो सकती। जो बिसरा प्रतिवेदन दिनांक 20.10.2010 को दिया गया है एवं जो आरोप पत्र के साथ संलग्न है उसमें भी मृत्यु का कोई कारण स्पष्ट नहीं किया गया। इससे यह नहीं स्पष्ट होता है कि किस आधार पर पूरक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मेडिकल बोर्ड के द्वारा इस मंतव्य पर पहुंचा गया कि मृत्यु का कारण " Injuries apparently caused by hard and blunt substance" है।

विभागीय अभिमत में भी बंदी के चिकित्सा के संबंध में बिहार कारा हस्तक में काराधीक्षक की जिम्मेवारियों के संबंध में बताया गया है एवं किसी भी साक्ष्य से यह स्पष्ट नहीं है कि आरोपी पदाधिकारी श्री देवेन्द्र प्रसाद द्वारा इनमें से किसी भी कर्त्तव्य पालन में लापरवाही बरती गयी हो। यह सही है कि बंदी मारूती चौधरी की मृत्यु कारा में संसीमन के दौरान हुई परन्तु उसके ईलाज में काराधीक्षक या किसी कारा कर्मी द्वारा लापरवाही बरती गयी है, यह किसी भी तरह प्रमाणित नहीं होता है। अगर पूरक पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सही भी मान लिया जाये तो भी बंदी को लगी चोट का कारण नशे के अभाव में गिरना है एवं इसमें काराधीक्षक की लापरवाही कहीं भी प्रमाणित नहीं होती है। **अतः आरोप संख्या–1 प्रमाणित नहीं होता है।**

आरोपित पदाधिकारी, श्री प्रसाद के विरूद्ध गठित आरोप संख्या–02 मूलतः मुआवजा की राशि 50,000 रूपये की वसूली से संबंधित है। इस संदर्भ में संचालन पदाधिकरी द्वारा बताया गया है कि यह आरोप, आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध गठित आरोप संख्या–01 का ही पूरक है। संचालन पदाधिकारी द्वारा सम्पूर्ण तथ्यों के विश्लेषणोपरांत उल्लेख किया गया है कि काराधीक्षक, श्री प्रसाद द्वारा बंदी के ईलाज में कोई लापरवाही नहीं बरती गयी एवं यदि बंदी मारूती चौधरी नशे की लत के कारण एवं नशा नहीं मिल पाने के कारण बेचैनी में गिर जाता है और उसे चोट लगती है तो उसके लिए काराधीक्षक को या अन्य किसी कारा कर्मी को जिम्मेवार मानना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

मानवाधिकार आयोग ने राशि के मुआवजे का यह आधार दिया है कि बंदी मारूती चौधरी की मृत्यु जेल अभिरक्षा में हुई। इस तथ्य से कहीं इन्कार नहीं किया जा सकता कि बंदी की मृत्यु अभिरक्षा में हुई है परन्तु इसका कारण कारा अधीक्षक की लापरवाही मानने का कोई औचित्य नहीं है।

5. उपर्युक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में संचालन पदाधिकारी का अधिगम '' **आरोपी पदाधिकारी श्री देवेन्द्र प्रसाद पर आरोप संख्या–1 एवं आरोप संख्या–2 दोनों प्रमाणित नहीं होते है''** से सहमति व्यक्त करते हुए सम्यक् विचारोपरान्त, श्री देवेन्द्र प्रसाद, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, आरा (सम्प्रति दूसरे मामले में निलंबित) को आरोपों से मुक्त करते हुए उनके विरूद्ध संस्थित विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सत्येन्द्र नाथ श्रीवास्तव,
अपर सचिव–सह–निदेशक, प्रशासन।

सं० कारा/नि0को0(क)–70/08–1644

कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग

संकल्प
13 मार्च 2015

श्री विश्वनाथ प्रसाद, तत्कालीन काराधीक्षक, केन्द्रीय कारा, गया सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध विभागीय संकल्प संख्या–2119 दिनांक 20.05.2010 द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित की गई तथा विभागीय कार्यवाही का संचालन पदाधिकारी, मगध प्रमंडल, गया को नामित किया गया है।

2. श्री प्रसाद के केन्द्रीय कारा, गया में पदस्थापन के दौरान नियम विरूद्ध कार्य करने, आपूरकों से पक्षपात करने तथा क्रय एवं आपूर्ति में अनियमितता बरतने के आरोपों के लिए उनके विरूद्ध प्रपत्र 'क' में आरोप पत्र गठित किया गया जिसके अन्तर्गत आरोप के बिन्दु निम्नवत् हैं:–

(i) निविदा संबंधी कार्य में अनियमितता एवं नियम विरूद्ध कार्य

(ii) आपूरकों से पक्षपात

(iii) कारा की पंजियों का अनियमित संधारण

(iv) जिला प्रषासन के जाँच के समय भंडार में खाद्यान्नों की गुणवत्ता स्वीकृत मानक से कम पाया जाना।

3. **संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोपित के विरूद्ध गठित आरोप संख्या–01** के संदर्भ में विश्लेषणोपरांत उल्लेख किया गया है कि निविदा हेतु सिल्ड बक्सा की व्यवस्था नहीं किये जाने, टेंडर पेपर हाथों–हाथ लिये जाने एवं टेंडर की प्रति नहीं दिये जाने संबंधी आरोप प्रमाणित नहीं होते हैं, जहाँ तक सही ढंग से एकरारनामा किये जाने का प्रश्न है, इस संबंध में आरोपित पदाधिकारी के स्पष्टीकरण एवं उपस्थापन पदाधिकारी के मंतव्य के आलोक में आरोपित पदाधिकारी को संदेह का लाभ दिया जा सकता है। वर्णित स्थिति में आरोपित पदाधिकारी पर निविदा संबंधी कार्यो में अनियमितता एवं नियम विरूद्ध कार्य करने का आरोप प्रमाणित नहीं होता है।

संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोपित के विरूद्ध गठित आरोप संख्या–02 के संदर्भ में बिन्दुवार विश्लेषणोपरांत उल्लेख किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2008–09 के पूर्व कारा निविदादाता को निबंधन हेतु निविदा शर्तो के साथ निर्धारित राशि का एन0एस0सी0 या पोस्ट ऑफिस का पासबुक, जो संबंधित काराधीक्षक के नाम से चलते रहता था, वह पूरे वित्तीय वर्ष में उस वक्त तक मान्य था, जबतक कि उसकी निर्धारित अवधि समाप्त नहीं हो जाती या काराधीक्षक द्वारा जब्त नहीं कर लिया जाता। ऐसी स्थिति में उपरोक्त आरोप प्रमाणित नहीं होता है।

स्वीकृत टेंडर का आपूर्ति आदेश नहीं दिया जाना, एकरारनामा नहीं किया जाना एवं स्टोर आदेश नियमित ढंग से निर्गत नहीं किया जाने के आरोप पर प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के मंतव्य एवं आरोपित पदाधिकारी के स्पष्टीकरण से सहमत होते हुए आरोपित को संदेह का लाभ दिया जा सकता है। अतः इस बिन्दु पर यह आरोप प्रमाणित नहीं होता है।

स्वीकृत टेंडरों से आपूर्ति नहीं कराकर, दूसरे टेंडरों से स्वीकृति लिया जाना, संभवतः समय की अनिवार्यता थी। व्यवहारिकता एवं आरोपित पदाधिकारी के स्पष्टीकरण के आलोक में ऐसा प्रतीत होता है कि उपर्युक्त कार्य कार्यहित में किया गया। अतः यह आरोप प्रमाणित नहीं होता है।

किन्तु आरोपित पदाधिकारी के स्पष्टीकरण, प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के मंतव्य एवं साक्ष्य के परिशीलन से, टेंडर पेपर में ओभरराईटिंग, अनावश्यक रूप से आटा का क्रय करना, चना की आपूर्ति करना तथा आपूर्तिकर्त्ता का भुगतान बैंक खाता के माध्यम से नहीं किया जाना, नियमों के प्रतिकूल पाया गया। **अतः इन बिन्दुओं से संबंधित आरोप प्रमाणित होते है।**

संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोपित के विरूद्ध गठित आरोप संख्या–03 के संदर्भ में बिन्दुवार विश्लेषणोपरांत उल्लेख किया गया है कि यद्यपि बिक्री पंजी में हरी सब्जी के विक्रेता का नाम अंकित होना चाहिए था, परन्तु सब्जी आपूर्ति में अनियमितता बरतने के संबंध में प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी द्वारा कोई स्पष्ट साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में, संदेह का लाभ आरोपित पदाधिकारी को दिया जा सकता है।

खाली भूमि में सब्जी की खेती एवं अतिरिक्त भंडार पंजी के संधारण आरोप एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध आरोप प्रमाणित नहीं होता है। जहाँ तक कारा कर्मियों के नगद भुगतान का संबंध है, इस संबंध में आरोपित ने बताया कि कतिपय कारा कर्मियों के स्थानान्तरण हो जाने एवं अन्यत्र एकाउन्ट स्थानांतरण हो जाने के कारण, उनके लिखित आवेदन पर, कारा एकाउन्टेंट ने आवेदन मँगाकर वेतन पुस्तिका के माध्यम से टिकट लगाकर भुगतान किया। वर्णित परिस्थिति में किये गये भुगतान के संबंध में, संदेह का लाभ आरोपित पदाधिकारी को दिया जा सकता है। अतः उक्त आरोप प्रमाणित नहीं होता है।

संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोपित के विरूद्ध गठित आरोप संख्या–04 के संदर्भ में विश्लेषणोपरांत उल्लेख किया गया है कि कारा भंडार में उपलब्ध नमक, धनियाँ, तेल, चीनी की गुणवत्ता की जाँच अनुमंडल पदाधिकारी, सदर गया के द्वारा की गई। उनके प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि कारा के भंडार में उस वक्त आयोडिन रहित साधारण नमक भंडारित था। घनिया के बोरों में घूलकण एवं गर्दा पाया गया। वैधानिक रूप से खाद्य पदार्थो की जाँच निर्धारित प्रयोगशालाओं में किया जाना चाहिए, किन्तु व्यवहारिक तौर पर यह हमेशा नहीं हो पाता है। सरकारी योजनाओं के अंतर्गत वितरण होने वाले सामग्री की जाँच सामान्यतः नजरी मूल्यांकन पर ही आधारित होता है। ऐसे मामलों में यथावांछित प्रशासनिक कार्रवाई भी नजरी जाँच के आधार पर ही निर्धारित की जाती है। प्रथम दृष्टया कतिपय सामग्रियों की गुणवत्ता में प्रत्यक्ष कमी थी, जो अनुमंडल पदाधिकारी के जाँच में उभर कर सामने आया है अतः कारा भंडार में नमक एवं धनिया की गुणवत्ता, स्वीकृत मानक से कम पाया जाने का **आरोप प्रमाणित होता है।**

4. संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन में आरोपित पदाधिकारी श्री प्रसाद के विरूद्ध प्रमाणित पाये गये आरोपों के संबंध में उनसे विभागीय पत्रांक 3553 दिनांक 06.08.2012 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गई।

5. श्री प्रसाद द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा जवाब में अपने विरूद्ध लगाये गये आरोपों को प्रमाणित नहीं बताते हुए आरोपों से मुक्त करने का अनुरोध किया गया।

6. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में समीक्षोपरांत आरोपित पदाधिकारी श्री विश्वनाथ प्रसाद, तत्कालीन काराधीक्षक, केन्द्रीय कारा, गया सम्प्रति सेवानिवृत्त को निम्न दंड प्रस्तावित किया गया :–

''आरोपित पदाधिकारी को अनुमान्य वेतनमान के वर्त्तमान वेतन प्रक्रम से दो वेतन प्रक्रम नीचे अर्थात् दो वेतन वृद्धियाँ कम कर, वेतन निर्धारण किये जाने का दंड।''

7. उक्त दण्ड पर बिहार लोक सेवा आयोग से विभागीय पत्रांक 1359 दिनांक 14.03.2013 द्वारा परामर्श की माँग की गई। तद्आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अपने पत्रांक 2663 दिनांक 10.02.2015 के द्वारा श्री प्रसाद को दिये गये विभागीय दण्ड को आनुपातिक नहीं बताते हुए असहमति व्यक्त की गई है।

8. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में आरोपित पदाधिकारी, श्री विश्वनाथ प्रसाद पर गठित आरोपों की गंभीरता तथा संचालन पदाधिकारी के द्वारा प्रमाणित पाये जाने एवं उपलब्ध अभिलेखों के सम्यक् विचारोपरांत आयोग से प्राप्त प्रस्ताव से असहमति व्यक्त करते हुए प्रस्तावित विभागीय दंड को यथावत् रखते हुए निम्न दंड अधिरोपित किया जाता है :–

''आरोपित पदाधिकारी को अनुमान्य वेतनमान के वर्त्तमान वेतन प्रक्रम से दो वेतन प्रक्रम नीचे अर्थात् दो वेतन वृद्धियाँ कम कर, वेतन निर्धारण किये जाने का दंड।''

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सत्येन्द्र नाथ श्रीवास्तव,
अपर सचिव–सह–निदेशक, प्रशासन।

वाणिज्य–कर विभाग

अधिसूचना

20 मार्च 2015

सं० कौन/भी–908/2005–73/सी०—श्री राजेषपति त्रिपाठी, वि0वि0से0, सम्प्रति वाणिज्य–कर पदाधिकारी, बाढ़ अंचल, बाढ़ को कोषागार पदाधिकारी, सिवान एवं कोषागार पदाधिकारी, मधबुनी के पदस्थापनकाल से संबंधित कतिपय आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना संख्या 604, दिनांक 31.07.06 के द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए विभागीय संकल्प संख्या 612, दिनांक 03.08.06 द्वारा उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रांरभ की गयी। जाँच संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन पर श्री त्रिपाठी से प्राप्त प्रतिक्रिया की समीक्षोपरांत अधिसूचना संख्या 380, दिनांक 11.09.08 द्वारा उन्हें तत्काल

प्रभाव से निलम्बन मुक्त करते हुए निदंन की सजा के साथ–साथ दो वार्षिक वेतन वृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से रोके जाने का दंड संसूचित किया गया तथा अधिसूचना संख्या 284, दिनांक 19.10.10 द्वारा 'निदंन' की प्रविष्टि उनके चारित्री वर्ष 2005–06 में किये जाने का निर्णय लिया गया।

2. उक्त दण्डादेशों के विरूद्ध श्री त्रिपाठी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–21685/2012 दायर किया गया, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 31.03.2014 को पारित न्यायादेश में उक्त दण्डादेशों को खारिज कर दिया गया है। पारित न्यायादेश का मुख्य अंश निम्नवत् है :–

"Despite his best effort to get the enquiry held by the two enquiry officers and both of them gave same kind of finding of not guilty, still without a notice of disagreement, punishment order has been passed.

Writ application therefore is allowed. The orders contained in Annexure-10 dated 11.09.08 as well as Annexure-12 dated 19.10.2010 stand quashed."

माननीय उच्च न्यायालय पटना के उक्त आदेश के आलोक में श्री त्रिपाठी को विभागीय अधिसूचना संख्या 380, दिनांक 11.09.08 एवं अधिसूचना संख्या 284, दिनांक 19.10.10 द्वारा संसूचित दण्ड को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है।

2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०)–अस्पष्ट, वाणिज्य–कर आयुक्त–सह–प्रधान सचिव।

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

अधिसूचना
25 मार्च 2015

सं० 1/ई1–306/2006 (खंड–1)–1404—श्री रामदास राम, तत्कालीन जिला अवर निबंधक, समस्तीपुर को दिनांक 17.02.2006 को निगरानी ब्यूरो द्वारा रू0 1500 (एक हजार पॉच सौ) रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया तथा उन्हें निगरानी थाना कांड संख्या–009/2006 दिनांक 16.02.2006 के द्वारा धारा–7/13 भ्र0नि0 अधि0, 1988 का अभियुक्त बनाया गया एवं गोपालगंज के कार्यकाल के दौरान सरकारी राजस्व की क्षति आदि आरोप में विभागीय संकल्प संख्या–2805 दिनांक 05.12.2006 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. संचालन पदाधिकारी द्वारा निगरानी के आरोप में कोई मंतव्य नहीं देने एवं श्री राम के दिनांक 30.10.2010 को सेवानिवृत्त हो जाने के फलस्वरूप उक्त अपूर्ण विभागीय कार्यवाही को संकल्प संख्या 1415 दिनांक 01.04.2014 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43 (बी0) के तहत् सम्परिवर्तित करते हुए पुनःसंचालित की गयी।

3. संचालन पदाधिकारी सहायक निबंधन महानिरीक्षक, बिहार, पटना द्वारा विभागीय कार्यवाही का जॉच प्रतिवेदन विभाग में दिनांक 09.07.2014 को समर्पित किया गया है, जिसमें संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप को प्रमाणित बताया गया है।

4. संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक–3021 दिनांक 16.07.2014 द्वारा श्री रामदास राम से बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 यथा संशोधित 2007 के प्रावधान –18(3) के तहत् द्वितीय बचाव बयान की मांग की गयी।

5. श्री राम द्वारा दिनांक 02.08.2014 को अपना बचाव बयान विभाग में समर्पित किया गया है। श्री राम द्वारा अपने स्पष्टीकरण में उल्लेख किया गया है कि श्री सरफराज अहमद के दस्तावेज दिनांक 28.09.2005 को निष्पादित किया गया था जब कि निगरानी धावा दल के मुताबिक उक्त दस्तावेज के निबंधन के लिए 1500 (एक हजार पॉच सौ) रूपये घूस उनके द्वारा दिनांक 17.02.2006 को ली जा रही थी। नियमानुसार निबंधन पदाधिकारी किसी दस्तावेज को निबंधन के लिए निष्पादन की तिथि से चार माह के अवधि तक ही स्वीकार कर सकता है। चार माह की अवधि के पश्चात् उक्त दस्तावेज के निबंधन के लिए निबंधन पदाधिकारी जब सक्षम ही नही है तब किस परिस्थिति में कोई व्यक्ति घुस ले सकता है। उक्त के आलोक में आरोप से मुक्त करने का अनुरोध किया गया है। उनके स्पष्टीकरण के विश्लेषणोपरांत पाया गया कि उनका स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नही है।

6. संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन एवं श्री राम के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को निगरानी धावा दल द्वारा रंगे हाथ घुस लेने एवं उनके आवास से 39900 रू0 बरामद होने के आधार पर रिश्वत लेने के आरोप को प्रमाणित माना गया है। बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम–3 के प्रावधान के प्रतिकूल आचरण करने का दोषी मानते हुए बिहार पेंशन नियमावली 1950 के नियम–139 (C) के तहत शत् प्रतिशत पेंशन अवरूद्ध करने का निर्णय लिया गया है।

7. विभागीय पत्रांक–4912 दिनांक 17.11.14 द्वारा श्री राम दास राम, से0नि0 जिला अवर निबंधक के विरूद्ध शत प्रतिशत पेंशन अवरूद्ध करने के प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श/अभिमत हेतु अनुरोध किया गया।

8. बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक–2509 दिनांक 22.01.15 द्वारा परामर्श दिया गया है कि बिहार पेंशन नियमावली के नियम–139 के तहत पेंशन से कटौती के विनिश्चित दण्ड प्रस्तावों में आयोग की सहमति अथवा अभिमत प्राप्त किये जाने का प्रावधान नही है।

9. अतएव उपलब्ध साक्ष्यों एवं तथ्यों के आधार पर पूर्ण विचारोपरांत श्री रामदास राम, तत्कालीन जिला अवर निबंधक, समस्तीपुर को रिश्वत लेने के प्रकरण में दोषी मानते हुए बिहार पेंशन नियमावली के नियम 139 के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उनका शत प्रतिशत पेंशन स्थाई रूप से अवरूद्ध की जाती है।

10. इसमें सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अभय राज, विशेष सचिव।

———

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 02—571+20-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in